न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 4126 **दिनांक** – 24/8/23

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 पुरखाराम पुत्र बादराराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा पुरोहितान जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 अचलाराम पुत्र उम्मेदाराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी भाड़खा पुरोहितान जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 216/2023 दिनांक– 11.08.2023

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 667/451 रकबा 2.6628 हैक्टेयर खसरा संख्या 668/452 रकबा 5.2204 हैक्टेयर व खसरा संख्या 669/452 रकबा 1.5459 हैक्टेयर कुल रकबा 9.4291 हैक्टेयर भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2023/ 4127–30 दिनांक– 24/08/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पुरखाराम पुत्र बादराराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा पुरोहितान जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी अचलाराम पुत्र उम्मेदाराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी भाड़खा पुरोहितान जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर